

22/10/17

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>11.10.22</p> <p>जे.आर.आर. के निर्देशों के अनुसार</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>वकील अग्रणी ने उद्योग विभाग को अग्रणी संख्या ① की शर्त के अंतर्गत ही निम्नी सूचना अर्थात् अग्रणी (18/10/17) को ही अर्ज अर्थात् अग्रणी सं. ① की कोर्टोरी के लक्ष्य में निम्नानुसार कार्यवाही को पत्रावली दिनांक 18.10.22 को पेश की</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>18.10.22</p> <p>जे.आर.आर. के निर्देशों के अनुसार</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बदल हेतु आवेदन प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं न्यायाधीश में अग्रणी प्रवक्त सखर द्विपट के साथ इस कार्य पर विचार करा है कि वे आगामी तारीख पेशी पर आवेदन रूप से उपस्थित रहेंगे। पत्रावली वाले बदल दिनांक 28-11-22 को पेश है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>28-11-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अग्रणी का कथन है कि प्रार्थीगण की मृत्यु हो जाने से प्रकल्प चलने योग्य नहीं है बिहाजा शण्डर जारी किया जावे। गत तारीख पेशी पर प्रार्थी के फौर होने का रजप रेकॉर्ड पर आ चुका है इसके बावजूद भी वकील प्रार्थी वश प्रार्थीगण के माण्ड के बगैर प्रार्थी से जोरि करके बदल शण्डर पेश नहीं किया है बिहाजा C.P.C. के मोदेश 22 नियम 3(2) के तहत शण्डर उपशमित (ABATE) किया जाता है पत्रावली फौज अकार हेतु इस न्यायालय के निर्णय से कम है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	